

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला माजस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

39 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024

25.06.2024

16.01.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स एस.के. डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक। पिनकोड -304021 मोबाईल नं. 9667413724

2-मैसर्स एस.के. डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक। पिनकोड -304021।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द अग्रवाल स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 16/1/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.01.2024 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स एस.के. डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स एस.के. डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी मसाले के साथ-साथ दुकान में कागज के एक कार्टून में लगभग 9 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 एम.एल. पैक घी (कृष्णा ब्राण्ड) रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर गिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल



16/1/25  
अतिरिक्त जिला माजस्ट्रेट  
टोंक

को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुरेश चन्द अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह घी ( कृष्णा ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान के कार्टून में लगभग 9 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 एम पैक में से घी (कृष्णा ब्राण्ड) के बैच नम्बर ए-275 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2023 थी, को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 500-500 एम0एल0 पैक के 4 मूल पैकेट पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी ( कृष्णा ब्राण्ड) 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 एम0एल0 पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3937 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3937 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल मैसर्स एस.के. डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/193 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/225/एक्ट/2024/374 दिनांक 29.01.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया घी ( कृष्णा ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zx) अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया



भारतीय  
जिला  
डिपार्टमेंट  
टोंक

गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द अग्रवाल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त घी में Foreign Fat उपस्थित मिला है। उक्त घी(कृष्णा ब्राण्ड) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया घी (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सोकरिया)  
न्यायाधीश, अतिरिक्त एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0